प्रेस को सूचना नोट (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 14/2023)

तत्काल प्रकाशन के लिए

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

नई दिल्ली, 20.02.2023: भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने आज **"डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए इमारतों या क्षेत्रों की रेटिंग"** पर अपनी अनुशंसाए जारी कीं है।

2. पिछले दशक के दौरान डिजिटाइजेशन में तीव्र वृद्धि ने अर्थव्यवस्था, नवाचार, विज्ञान और शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य, स्थिरता, शासन और जीवन शैली तक, हर चीज को प्रभावित करते हुए दुनिया में क्रांति लाई है। डिजिटल प्रौद्योगिकियां मौलिक रूप से व्यवसाय मॉडल, संस्थानों और समाज को समग्र रूप से बदल रही हैं। डिजिटल कनेक्टिविटी की मांग हाल के वर्षों में कई गुना बढ़ गई है और कोविड-19 ने उपयोगकर्ताओं के सभी वर्गों में मांग को और बढ़ावा दिया है, चाहे उनका उपयोग स्थान कुछ भी हो।

3. अतीत में, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) और सरकार ने दूरसंचार कनेक्टिविटी की मांगों को पूरा करने के लिए कई नीतिगत कदम उठाए हैं। इन नीतिगत हस्तक्षेपों ने कनेक्टिविटी में सुधार करने में मदद की है, जिसके परिणामस्वरूप व्यापक कवरेज और उच्च डेटा थ्रूपुट (data throughput) प्राप्त हुआ है। हालाँकि, ये सभी प्रयास उपयोगकर्ताओं के डिजिटल कनेक्टिविटी अनुभव के वांछित स्तर को प्राप्त करने में विफल रहे हैं, जो अब कहीं से भी, किसी भी समय काम करना पसंद करते हैं। 5जी नेटवर्क की शुरुआत ने विशेष रूप से इमारतों के अंदर 5जी सेवाओं के निर्बाध अनुभव की आवश्यकता को और अधिक बढ़ा दिया है।

4. भादूविप्रा (TRAI) ने कनेक्टिविटी की गुणवत्ता का आकलन करने, कनेक्टिविटी प्रदान करने में चुनौतियों की पहचान करने और आगे का रास्ता सुझाने के लिए कई अध्ययन किए हैं। इन अध्ययनों के आधार पर भादूविप्रा ने "*बहुमंजिला आवासीय अपार्टमेंट के अंदर अच्छी गुणवत्ता वाले नेटवर्क की खोज: गुणवत्ता में सुधार के तरीकों की पुनर्कल्पना*" पर एक मोनोग्राफ भी प्रकाशित किया था ।

5. उपरोक्त के आधार पर, भादूविप्रा ने स्व-प्रेरणा के आधार पर परामर्श की प्रक्रिया शुरू की, जिसमें डिजिटल कनेक्टिविटी इन्फ्रास्ट्रक्चर (डीसीआई) को सभी विकास गतिविधियों का हिस्सा बनाने के लिए एक ईको-सिस्टम की स्थापना करने के लिए परामर्श किया। भादूविप्रा ने 25 मार्च 2022 को "*डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए इमारतों या क्षेत्रों की रेटिंग*" पर परामर्श पत्र (सीपी) जारी किया और उठाए गए मुद्दों पर हितधारकों से उनकी राय लेने के लिए 07 जुलाई 2022 तक का समय दिया।

6. प्राप्त टिप्पणियों के आधार पर, ओपन हाउस चर्चा के दौरान हितधारकों के साथ हुई चर्चाओं और उसके विश्लेषण के आधार पर, "***डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए इमारतों या क्षेत्रों की रेटिंग***" पर भादूविप्रा की सिफारिशों को अंतिम रूप दिया गया है। इन सिफारिशों का जोर डिजिटल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर (डीसीआई) को पानी, बिजली या अग्नि सुरक्षा प्रणाली जैसी अन्य भवन सेवाओं के समान, भवन विकास योजना का एक आंतरिक हिस्सा बनाने के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के लिए एक ढांचा प्रदान करने पर है, । संपत्ति प्रबंधकों (मालिक या डेवलपर या बिल्डर आदि), सेवा प्रदाताओं, बुनियादी ढांचा प्रदाताओं, डीसीआई पेशेवरों और विभिन्न शहरी/स्थानीय निकायों के अधिकारियों सहित विभिन्न हितधारकों के बीच सहयोग के माध्यम से डीसीआई (DCI) को भवन विकास के साथ-साथ सह-डिज़ाइन और सह-निर्मित किया जाना है। यह ढांचा युवा पेशेवरों के लिए डीसीआई पेशेवर बनने और डिजिटल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर (DCI) के डिजाइन, तैनाती और मूल्यांकन का हिस्सा बनने के लिए नौकरी के अवसर भी खोलेगा।

7. भादूविप्रा ने आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (एमओएचयूए) के टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ऑर्गनाइजेशन (टीसीपीओ) द्वारा जारी किए गए मॉडल बिल्डिंग बायलॉज 2016 में मार्च 2022 में जोड़े गए "*इन-बिल्डिंग सॉल्यूशंस डिजिटल कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए प्रावधान*" के मौजूदा प्रावधानों को परिशिष्ट के माध्यम से संशोधित और अपडेट करके के लिए *'बिल्डिंग में डिजिटल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर'* पर एक नया अध्याय भी प्रस्तावित किया है।

8. भादूविप्रा ने आगे इस बात पर जोर दिया कि संपत्ति प्रबंधकों (डेवलपर्स, बिल्डर्स आदि) द्वारा भवनों में विकसित डिजिटल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर (डीसीआई) सभी सेवा प्रदाताओं के लिए निष्पक्ष, पारदर्शी, गैर-भेदभावपूर्ण और गैर-प्रभार्य आधार पर सुलभ होना चाहिए।

9. सिफारिशों में डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए इमारतों की रेटिंग के लिए ढांचे का विकास भी शामिल है, जिससे संपत्ति का मूल्य बढ़ेगा। भादूविप्रा इमारतों की रेटिंग के लिए अलग से उपयुक्त नियामक ढांचा तैयार करेगा, जिसमें रेटिंग प्रमाणन का मुद्दा भी शामिल होगा।

10. " *डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए इमारतों या क्षेत्रों की रेटिंग*" पर भादूविप्रा की सिफारिशों की मुख्य विशेषताएं इस प्रेस विज्ञप्ति के **'अनुलग्नक-1'** के रूप में संलग्न हैं।

11. इन सिफारिशों को भादूविप्रा की वेबसाइट www.trai.gov.in पर रखा गया है। किसी भी स्पष्टीकरण/जानकारी के लिए, श्री तेजपाल सिंह, सलाहकार (क्यूओएस-प्रथम), भादूविप्रा से ईमेल: adv-qos1@trai.gov.in पर या दूरभाष: +91-11-2323-3602 पर संपर्क किया जा सकता है।

वि. रघुनंदन

(वि. रघुनंदन)
सचिव, भादूविप्रा

अनुलग्नक-1

"*डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए इमारतों या क्षेत्रों की रेटिंग*" पर सिफारिशों की मुख्य विशेषताएं

क. डिजिटल कनेक्टिविटी : एक आवश्यक सेवा

1. डिजिटल कनेक्टिविटी इन्फ्रास्ट्रक्चर (डीसीआई) पर आवश्यक प्रावधानों को शामिल करने के लिए मॉडल बिल्डिंग बाय-लॉज़ (एमबीबीएल) और नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ़ इंडिया (एनबीसी) में संशोधन किया जाना चाहिए।

2. जल आपूर्ति, विद्युत सेवाओं, गैस आपूर्ति, अग्नि सुरक्षा और अग्नि सुरक्षा आवश्यकताओं आदि की तर्ज पर डीसीआई (DCI) को भवन विकास योजनाओं का एक आवश्यक घटक बनाया जाना चाहिए।

3. सरकार संबंधित उप-नियमों या अन्य प्रासंगिक कानूनों या राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों के अन्य प्रासंगिक कानूनों में, डीसीआई विकास के लिए उपयुक्त प्रावधानों को शामिल करने के लिए राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ काम करें।

4. इमारतों के अंदर डीसीआई को अनिवार्य करने, उसके रखरखाव, समय पर उन्नयन आदि के प्रावधान को बिल्डर-क्रेता समझौते में शामिल किया जाना चाहिए ताकि इसे रेरा (RERA) अधिनियम के अधिकार क्षेत्र के तहत शामिल किया जा सके और रेरा द्वारा इसकी प्रवर्तनीयता को शामिल किया जा सके।

ख. डीसीआई (DCI) के विकास के लिए संस्थाएं

5. डीसीआई को डिजाइन, तैनात और मूल्यांकन करने वाले में संपत्ति प्रबंधक और डीसीआई पेशेवर यानी डीसीआई डिजाइनर, डीसीआई इंजीनियर और डीसीआई मूल्यांकनकर्ता शामिल होने चाहिए।

6. कोई भी व्यक्ति जिसके पास आवश्यक कौशल है, जैसा कि निर्धारित किया गया है, डीसीआई डिजाइनर या डीसीआई इंजीनियर या डीसीआई मूल्यांकनकर्ता के रूप में कार्य कर सकता है।

ग. डीसीआई (DCI) की प्रक्रियाएं और मानक

7. डीसीआई के विकास के लिए व्यापक ढांचे पर एमबीबीएल (MBBL) में एक अलग अध्याय शामिल किया जाना चाहिए।

8. भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) को इमारतों के लिए डीसीआई के मौजूदा मानकों और प्रक्रियाओं की समीक्षा करने का काम सौंपा जाना चाहिए।

9. एनबीसी के तहत गठित "*नेशनल बिल्डिंग कोड सेक्शनल कमेटी*" में दूरसंचार उद्योग और दूरसंचार विभाग (DoT) के सदस्य शामिल होने चाहिए।

10. एनबीसी के तहत *'सूचना और संचार सक्षम प्रतिष्ठान'* पर पैनल का विस्तार कर दूरसंचार

इंजीनियरिंग केंद्र (टीईसी) और दूरसंचार मानक विकास सोसायटी इंडिया (टीएसडीएसआई) के प्रतिनिधियों और दूरसंचार आरएफ योजना (RF Planning) के विशेषज्ञों और इमारतों के डिजिटल मॉडलिंग के विशेषज्ञों, को शामिल किया जाना चाहिए। इस पैनल का संयोजक दूरसंचार विभाग द्वारा नामित प्रतिनिधि होना चाहिए।

घ. डीसीआई (DCI) के लिए उत्पादों और प्रक्रियाओं के मानकों पर:

11 क) बीआईएस (BIS) को मानक टेम्प्लेट निर्धारित और अद्यतन करने चाहिए, जिनका उपयोग संपत्ति प्रबंधकों द्वारा भवन संबंधी जानकारी और उपयोगकर्ताओं की कनेक्टिविटी आवश्यकताओं को एकत्र करने के लिए किया जाएगा।

ख) बीआईएस (BIS) द्वारा डीसीआई (DCI) के लिए निर्धारित मानकों, प्रक्रियाओं और निर्धारित टेम्प्लेट को राष्ट्रीय भवन संहिता (एनबीसी) का हिस्सा बनाया जाना चाहिए।

ग) टीईसी(TEC) को डीसीआई के लिए जरूरी मानक उत्पादों और उपकरणों के लिए उपकरण मानकीकरण और प्रमाणन एजेंसी के रूप में काम करना जारी रखना चाहिए।

घ) टीईसी (TEC) को डीसीआई के उन्नयन के लिए आवश्यक नए उत्पादों के संबंध में आवश्यक विनिर्देश निर्धारित करने चाहिए।

ङ) टीईसी को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि डीसीआई के लिए प्रमाणित उत्पाद साझा करने योग्य और इंटरऑपरेबल हैं।

च) टीईसी को ऐसे डीसीआई उत्पादों और उपकरणों को सूचीबद्ध और प्रकाशित करना चाहिए, जिन्हें प्रमाणन की आवश्यकता होती है।

12. बीआईएस को डीसीआई के भवनों के विभिन्न वर्गों के लिए अलग-अलग मानक निर्धारित करने चाहिए।

13. बीआईएस को डीसीआई के ऐसे प्रावधानों को भी निर्धारित करना चाहिए जो भवनों के लिए पूर्णता/अधिभोग प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक (आवश्यक आवश्यकताएं) हों।

ङ. डीसीआई (DCI) का स्वामित्व और पहुंच

14. संपत्ति प्रबंधक बनाये गये डीसीआई का मालिक होगा, चाहे वह स्वयं द्वारा या उसके एजेंट के माध्यम से बनाया गया हो और ऐसे डीसीआई के रखरखाव, विस्तार और उन्नयन के लिए जिम्मेदार होगा। संपत्ति प्रबंधक निष्पक्ष, गैर-प्रभार्य, पारदर्शी और गैर-भेदभावपूर्ण तरीके से सभी सेवा प्रदाताओं को डीसीआई की पहुंच की अनुमति देगा और किसी भी बुनियादी ढांचे/सेवा प्रदाता के साथ कोई विशेष व्यवस्था या समझौता नहीं करेगा।

बशर्ते कि यदि किसी लाइसेंसधारी द्वारा सक्रिय वायरलेस उपकरण स्थापित किया जाता है, तो लाइसेंसधारी ऐसे डीसीआई के रखरखाव, विस्तार और उन्नयन के लिए जिम्मेदार होगा परंतु

उस हद तक स्वामित्व उस लाइसेंसधारक के पास होगा। हालाँकि, सक्रिय वायरलेस उपकरण की यह स्थापना संपत्ति प्रबंधक की ओर से की जाएगी और संपत्ति प्रबंधक यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगा कि लाइसेंसधारी अनिवार्य रूप से निष्पक्ष, पारदर्शी, गैर-भेदभावपूर्ण और गैर-अनन्य तरीके से सभी सेवा प्रदाताओं को ऐसे सक्रिय वायरलेस उपकरण का उपयोग करने देगा।

15. इमारतों में सक्रिय वायरलेस उपकरणों को अनिवार्य रूप से साझा करने के प्रावधान के साथ वर्तमान एकीकृत लाइसेंस शर्तों में संशोधन दूरसंचार विभाग (DoT) द्वारा किया जाना चाहिए।

16. पट्टेदार लाइसेंसधारियों द्वारा डीसीआई के हिस्से के रूप में सक्रिय वायरलेस उपकरण साझा करने से अर्जित राजस्व पर लाइसेंस शुल्क (एलएफ) नहीं लगना चाहिए। इसके लिए, ऐसे राजस्व को पट्टेदार लाइसेंसधारी के सकल राजस्व (जीआर) से कम किया जाना चाहिए ताकि ऐसे पट्टेदार लाइसेंसधारी के लागू सकल राजस्व (एपीजीआर) की गणना की जा सके।

17. मौजूदा भवनों के लिए जहां डीसीआई आंशिक रूप से सृजित है, प्राधिकरण डीसीआई के विकास, उन्नयन और विस्तार के लिए स्वामित्व अर्थात संपत्ति प्रबंधक तय करने के लिए हितधारकों के बीच एक सहयोगी दृष्टिकोण की सिफारिश करता है। हालाँकि, ऐसे मामलों में जहां डीसीआई को एक सेवा प्रदाता/आईपी-आई द्वारा विकसित किया जाता है, जब तक कि संपत्ति प्रबंधक को डीसीआई स्थानांतरित करने के लिए कोई उपयुक्त व्यवस्था नहीं की जाती है, ऐसे सेवा प्रदाता/आईपी-आई को लाइसेंस/पंजीकरण शर्तों के अनिवार्य प्रावधानों द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए।

18. प्राधिकरण 29 नवंबर 2022 की अपनी सिफारिशों "*छोटे सेल और एरियल फाइबर तैनाती के लिए स्ट्रीट फर्नीचर का उपयोग*" के पैरा 2.90 में की अपनी सिफारिश को दोहराता है जिसमें यह सिफारिश की गई थी कि "सक्षम करने वाले प्रावधान या उपयुक्त नियम और शर्तें सभी टेलीकॉम लाइसेंस और आईपी-I पंजीकरण समझौते में शामिल की जाएंगी, जो टीएसपी/आईपी-I प्रदाताओं को इंफ्रास्ट्रक्चर मालिकों/सीएए या किसी अन्य प्राधिकरण के साथ किसी भी विशेष अनुबंध या तरीकों के अधिकार में प्रवेश करने से रोकते हैं"।

च. डीसीआई (DCI) के विस्तार और उन्नयन के लिए प्रावधान

19. नए स्पेक्ट्रम बैंड की शुरुआत, प्रौद्योगिकी में बदलाव, उपयोगकर्ता की बढ़ी हुई मांग आदि के मामले में,

क) दूरसंचार विभाग (DoT) को क्रमश: राष्ट्रीय भवन संहिता (NBC) और मॉडल भवन उपनियमों (MBBL) में संशोधनों को शामिल करने के लिए बीआईएस और एमओएचयूए (MoHUA) के साथ इस मामले को उठाना चाहिए।

ख) बीआईएस को डीसीआई के उन्नयन और विस्तार के लिए संपत्ति प्रबंधक द्वारा किए

जाने वाले आवश्यक प्रावधानों को भी निर्धारित करना चाहिए।

20. एमबीबीएल (MBBL) में डीसीआई के उन्नयन और विस्तार के अनुमोदन के लिए उपयुक्त प्रावधान होने चाहिए।

21. संपत्ति प्रबंधक को एमबीबीएल में निर्धारित समय सीमा में डीसीआई का उन्नयन और विस्तार सुनिश्चित करना चाहिए।

22. सभी मौजूदा इमारतों में, जिसका स्वामित्व सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या सरकार के स्वायत्त निकायों के पास है, वाणिज्यिक भवनों और सार्वजनिक स्थानों जैसे हवाई अड्डों, बंदरगाहों, रेलवे स्टेशनों, बस स्टेशनों, मेट्रो स्टेशनों या किसी अन्य भवन जो कि एमओएचयूए (MoHUA) द्वारा डीओटी (DoT) के परामर्श से तय किये जा सकते है, ऐसे भवनो मे अत्याधुनिक डिजिटल कनेक्टिविटी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, डीसीआई को उन्नत या प्रदान करना चाहिए। ऐसे मामलों में, भवन निर्माण उपनियमों मे उचित समय सीमा निर्धारित करनी चाहिए ताकि उन्नत डीसीआई की उपलब्धता और पहुंच सुनिश्चित की जा सके।

23. अन्य मौजूदा भवनों के लिए, नए भवन उप-नियम विभिन्न हितधारकों के साथ उचित परामर्श के बाद तीन साल के भीतर एमओएचयूए द्वारा जारी किए जाने चाहिए। तब तक, ऐसे मौजूदा भवनों के संपत्ति प्रबंधक नए उपनियमों को स्वेच्छा से लागू करें।

छ) डीसीआई (DCI) पेशेवरों की क्षमता निर्माण के लिए संस्थागत तंत्र

24. भारतीय तार अधिनियम, 1885 में निम्नानुसार संशोधन किया जाना चाहिए:

क) केंद्र सरकार डिजिटल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर काउंसिल (सीओडीसीआई) के गठन के लिए नियमों का निर्धारण करना चाहिए।

ख) नियम, डीसीआई को डिजाइन करने, तैनात करने और मूल्यांकन करने के लिए व्यक्तियों के प्रमाणीकरण के तरीके को निर्दिष्ट करें।

ग) इस तरह के नियम, नियमों और शर्तों की योग्यता निर्दिष्ट कर सकते हैं, जिसके अधीन इस तरह का प्रमाणीकरण दिया जा सकता है, जिसमें इस तरह के प्रमाणन देने के लिए परीक्षा आयोजित करना, इसके लिए भुगतान की जाने वाली फीस और शुल्क और अन्य संबंधित मामले शामिल हैं।

25. डिजिटल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर काउंसिल (CoDCI) को दूरसंचार विभाग (डीओटी), संचार मंत्रालय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (एमओएचयूए) के सहयोग से, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई), राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद (एनएसडीसी), दूरसंचार क्षेत्र कौशल परिषद (टीएसएससी), और निर्माण कौशल विकास परिषद (सीएसडीसी) या कोई अन्य संगठन/संस्था जो उपयुक्त समझी जाती है, के तहत स्थापित की जानी चाहिए। सीओडीसीआई (CoDCI), डीसीआई पेशेवरों के प्रमाणन, पंजीकरण और क्षमता निर्माण के संबंध

में सभी निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार होगा।

26. सीओडीसीआई की व्यापक भूमिकाएं और जिम्मेदारियां इस प्रकार हैं:

क) डीसीआई पेशेवरों की योग्यता, भूमिका और उत्तरदायित्व निर्धारित करना।

ख) भारत के भीतर और बाहर मौजूदा समान पाठ्यक्रमों की सामग्री और भारत में डीसीआई पेशेवरों के लिए उनकी उपयुक्तता का अध्ययन करना।

ग) डीसीआई पेशेवरों के लिए विभिन्न स्तरों पर वैकल्पिक/प्रमाणन पाठ्यक्रम सहित उपयुक्त स्नातक और डिप्लोमा पाठ्यक्रम सुझाना।

घ) डीसीआई से संबंधित पाठ्यक्रमों की पेशकश के लिए संस्थानों और संगठनों को मान्यता देना। यह देखते हुए कि प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में बड़ी संख्या में भवन हैं, ऐसे पाठ्यक्रमों की पेशकश और कार्यबल के विकास के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में संस्थानों की मान्यता की आवश्यकता हो सकती है।

ङ) परीक्षा आयोजित करने और डीसीआई पेशेवरों को प्रमाणित करने के लिए।

च) प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण और डीसीआई पेशेवरों के कौशल उन्नयन का आयोजन करना।

छ) सीओए(CoA) के समान योग्य और प्रमाणित डीसीआई पेशेवरों को पंजीकृत करने के लिए। ऐसे पेशेवर जो डीसीआई के विकास के लिए संपत्ति प्रबंधकों द्वारा एक बार नियुक्त किए गए और उनकी योजना-दस्तावेजों पर घोषित किए गए है, व्यक्ति-ऑन-रिकॉर्ड (Person on Record) होंगे।

ज) डीसीआई पेशेवरों का एक रजिस्टर बनाए रखना और विभिन्न हितधारकों द्वारा पहुंच और उपयोग के लिए इसे ऑनलाइन पोर्टल पर प्रकाशित करना।

झ) क्षमता निर्माण से संबंधित विभिन्न गतिविधियों पर नज़र रखना और सभी हितधारकों को सूचना का प्रसार करने के लिए, परिषद को डीसीआई के सामंजस्यपूर्ण कार्यान्वयन और उसे विभिन्न एजेंसियों के साथ जोड़ने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित करने की आवश्यकता है।

ञ) क्षमता निर्माण से संबंधित कोई अन्य कार्य जो परिषद द्वारा उपयुक्त समझा जाता है।

27. सीओडीसीआई को अपनी स्थापना के एक साल के भीतर या इन सिफारिशों की तारीख से तीन साल के भीतर, जो भी पहले हो, डीसीआई के सामंजस्यपूर्ण कार्यान्वयन के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म की स्थापना सहित डीसीआई पेशेवरों के प्रमाणन, पंजीकरण और क्षमता निर्माण के लिए एक तंत्र स्थापित करना चाहिए।

28. जब तक सीओडीसीआई की स्थापना नहीं हो जाती, तब तक डीसीआई के लिए नए

भवन उपनियमों के प्रावधानों को यहां अनुशंसित भवनों और डीसीआई के डिजाइन और विकास के क्षेत्र में पहले से काम कर रहे मौजूदा पेशेवरों की सेवाओं का उपयोग करके लागू किया जाना चाहिए।

ज. डीसीआई (DCI) के विकास के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म और उपकरण

29. सीओडीसीआई द्वारा एक डिजिटल प्लेटफॉर्म का विकास और रखरखाव किया जाना चाहिए। डिजिटल प्लेटफॉर्म के व्यापक उद्देश्यों में निम्नलिखित शामिल हैं, लेकिन इन तक सीमित नहीं हैं:

क) डीसीआई पेशेवरों की क्षमता निर्माण से संबंधित गतिविधियां:

i. पाठ्यक्रमों, मान्यता प्राप्त संस्थानों और प्रवेश के लिए प्रक्रिया, और लागू शुल्क संरचना, यदि कोई हो, का विवरण प्रकाशित करना।
ii. डीसीआई पेशेवरों के प्रमाणीकरण के लिए परीक्षा आयोजित करने की सुविधा।
iii. प्रमाणित डीसीआई पेशेवरों के लिए पंजीकरण सुविधा।

ख) पंजीकृत डीसीआई पेशेवरों और प्रमाणित उत्पादों और उपकरणों की सूची प्रकाशित करना।

ग) प्रमाणित उत्पादों की खरीद और बिक्री के लिए बाज़ार प्रदान करना। ऐसे ई-मार्केटप्लेस को ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी) से जोड़ा जाना चाहिए।

घ) पंजीकृत डीसीआई पेशेवरों की सेवाएं लेने के लिए संपत्ति प्रबंधकों को सक्षम करना।

ङ) विभिन्न तकनीकों और उपकरणों के माध्यम से विभिन्न हितधारकों के बीच बातचीत और सहयोग को सक्षम बनाना।

च) पंजीकृत डीसीआई पेशेवरों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं और उपयोग किए गए प्रमाणित उत्पादों के लिए फीडबैक तंत्र प्रदान करना।

छ) विकास परियोजनाओं/अनुमोदित भवनों के संबंध में ब्यौरे बनाए रखना - चालू, पूर्ण और स्थानीय निकायों और अन्य सक्षम प्राधिकारियों द्वारा उपयोग में लाया जाना।

ज) प्रौद्योगिकी और स्पेक्ट्रम बैंड के साथ सेवा प्रदाताओं के संबंध में एक रिपॉजिटरी बनाना, जो क्षेत्र में सेवाएं प्रदान कर रहे हैं और समय-समय पर इसे अद्यतन करना।

झ) प्रक्रियाओं के मानकीकरण में सहायता करने के लिए डीसीआई परियोजनाओं के कार्यान्वयन के पहले से प्राप्त ज्ञान के आधार पर ज्ञान का भंडार बनाना।

ञ) डीसीआई से संबंधित भारत के भीतर और वैश्विक स्तर पर मानकों, प्रौद्योगिकी और सर्वोत्तम प्रथाओं पर नियमित आधार पर जानकारी उपलब्ध कराना।

ट) डीसीआई के विकास और संबंधित मुद्दों पर विश्लेषणात्मक रिपोर्ट/लेख प्रकाशित करना।

ठ) डीसीआई से संबंधित अधिनियमों/कानूनों/उपनियमों/नियमों/विनियमों को उपलब्ध कराना।

ङ) भवनों में बनाए गए डीसीआई तक पहुंच की मांग करने वाले सेवा प्रदाताओं के लिए ऑनलाइन आवेदन, निकासी और अनुमोदन प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाना।

30. सीओडीसीआई की स्थापना होने तक, तत्काल उद्देश्यों को पूरा करने के लिए डीओटी द्वारा डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया जाना चाहिए, जिसे बाद में सीओडीसीआई को सौंप दिया जा सकता है।

झ) डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए रेटिंग फ्रेमवर्क

31. हरित भवनों की रेटिंग के लिए एमबीबीएल (MBBL) में किए गए प्रावधानों की तर्ज पर डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए भवनों की रेटिंग के लिए उपयुक्त प्रावधान एमबीबीएल में शामिल किए जाने चाहिए।

32. प्रारंभ में, डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए इमारतों की रेटिंग सभी मौजूदा और सार्वजनिक महत्व के नए भवनों के लिए भादूविप्रा द्वारा विनियामक ढांचा जारी होने के दो साल के भीतर या अधिभोग प्रमाण पत्र प्राप्त करने से दो साल के भीतर, जो भी बाद में हो, अनिवार्य किया जाना चाहिए। प्राधिकरण आगे अनुशंसा करता है कि सार्वजनिक महत्व के निम्नलिखित भवनों की रेटिंग अनिवार्य की जानी चाहिए:

क) हवाई अड्डे,

ख) बंदरगाह,

ग) रेलवे/मेट्रो स्टेशन,

घ) बस स्टेशन,

ङ) केंद्र/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों/स्थानीय प्राधिकरणों/सरकारी एजेंसियों/सार्वजनिक उपक्रमों के भवन,

च) सरकारी आवासीय कॉलोनियां,

छ) इंडस्ट्रियल पार्क, एसईजेड (SEZ), मल्टी-मोडल लॉजिस्टिक पार्क सहित इंडस्ट्रियल एस्टेट

ज) बड़े वाणिज्यिक कार्यालय परिसर,

झ) बड़े वाणिज्यिक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स,

ञ) अनुसंधान संस्थानों सहित उच्च शिक्षा के सभी संस्थान,

ट) सभी बहु-विशेष अस्पतालों, और

ठ) कोई भी अन्य भवन जैसा कि सरकार तय कर सकती है।

33. राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और अन्य हितधारकों के परामर्श से एमओएचयूए (MoHUA) द्वारा तय किए गए भवनों के वर्ग को छोड़कर, डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए भवनों की रेटिंग

सभी नई इमारतों के लिए अनिवार्य की जानी चाहिए।

34. संपत्ति प्रबंधक को भादूविप्रा द्वारा विनियामक ढांचा जारी करने के बाद अधिभोग प्रमाणपत्र प्राप्त करने के दो साल के भीतर डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए भवनों का मूल्यांकन करना चाहिए।

35. अनिवार्य भवनों के अलावा अन्य भवनों के लिए, संपत्ति प्रबंधक स्वैच्छिक आधार पर डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए अपने भवनों का मूल्यांकन करवा सकता है।

ञ) एमबीबीएल (MBBL) और एनबीसी (NBC) में प्रस्तावित संशोधन

36. डीसीआई डिजाइन, कार्यान्वयन और भवनों के उपयोग का अनुमोदन, इस प्रयोजन के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के क़ानून के अनुसार मौजूदा संस्थानों के पास रहना चाहिए।

37. विकास योजनाओं के अनुमोदन के लिए जिम्मेदार राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के प्राधिकरण को डिजिटल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर काउंसिल (सीओडीसीआई) द्वारा विधिवत पंजीकृत और प्रमाणित उपयुक्त डीसीआई डिजाइन और मूल्यांकन विशेषज्ञ/ एजेंसी की सेवाएं लेनी चाहिए।

38. जैसा कि सुझाव दिया गया है, सिफारिशों के अनुरूप मॉडल बिल्डिंग उपनियमों में भवनों के लिए डीसीआई पर एक नया मसौदा अध्याय शामिल किया जाना चाहिए।

39. *'सूचना और संचार सक्षम प्रतिष्ठान'* पर बीआईएस (BIS) पैनल को भवनों के लिए डीसीआई (DCI) के संबंध में मानक विकसित करने चाहिए, जिन्हें राष्ट्रीय भवन संहिता (NBC) में शामिल किया जाना चाहिए।

******